न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री अंशुल सिंह, R.A.S.**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व वाद संख्याः **175/2018** दायर दिनाँक **22.10.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. खेताराम पुत्र हरलाल उम्र 40 वर्ष, जाति मेघवाल निवासी—पीपलां बास (बांसा),तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नारायणराम पुत्र हरलाराम 2. हरलाराम पुत्र लिछमणराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण — पीपलां का बास (बासां), तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर। 3. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा—136 L.R..T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री ओमप्रकाश पूनिया वकील, वादी।
2. श्री अशोक भाकर वकील प्रतिवादी सं0 01 व 02

—:: अंतिम निर्णय ::—

दिनाँक **13.02.2020**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पीपलां का बास, पटवार हल्का बासां की राजस्व सरहद में कृषि भूमि पुराने खसरा संख्या 477 रकबा 26 बीघा एवं खसरा संख्या 477/603 की 22 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है इनमें से खसरा संख्या 477 की 26 बीघा भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 तीनों की संयुक्त खातेदारी की भूमि थी एवं खसरा संख्या 477/603 की 22 बीघा 11 बिस्वा भूमि अप्रार्थी श्री हरलाराम की एकल खातेदारी की भूमि थी, इस खसरा संख्या 477/603 की 22 बीघा 11 बिस्वा भूमि को अप्रार्थी श्री हरलाराम ने प्रार्थी खेताराम को जरिये पंजीबद्ध दानपत्र दिनांक 21.11.2014 को दान कर दी एवं प्रार्थी खेताराम के पक्ष में जरिये नामान्तरण संख्या 422 दिनांक 17.12.2014 को 477/603 की 22 11 बिस्वा भूमि दर्ज हो गई।

यह है कि उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 477 की 26 बीघा भूमि बावत प्रार्थी ने श्रीमान के न्यायालय में बंटवारा इत्यादि हेतु वाद संख्या 249/2014 उनवान खेताराम बनाम नारायणराम प्रस्तुत किया जो स्वीकार होकर दिनांक 22.03.2017 को प्राथमिक डिक्री हुआ, दिनांक 18.04.2017 को तहसीलदार डीडवाना ने बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं दिनांक 26.05.2017 को श्रीमान न्यायालय द्वारा वाद संख्या 249/2014 में

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 175/2018
दायर दिनाँक 22.10.2018 निर्णय दिनाँक 13.02.2020
खेताराम बनाम नारायणराम, वगैरा।

अंतिम डिक्री की पालना में नामान्तरण संख्या 499 दिनांक 10.06.2017 द्वारा खसरा संख्या 477 की 26 बीघा भूमि का विभाजन कर मूल खसरा संख्या 477 में 8.14 बीघा अप्रार्थी श्री हरलाराम के खाते में, नवीन खसरा नम्बर 479/477 रकबा 8.09 बीघा भूमि प्रार्थी खेताराम के खाते में तथा नवीन खसरा नम्बर 681/477 रकबा 8.13 बीघा व खसरा नम्बर 680/477 रकबा 0.04 बीघा अप्रार्थी श्री नारायणराम के खाते में दर्ज की गई है। वाद संख्या 249/2014 में जारी प्राथमिक डिक्री, बंटवारा प्रस्ताव, अंतिम डिक्री तथा जमाबंदी सम्वत 2072–75 की प्रतियां संलग्न है।

यह है कि उपरोक्त पैरा संख्या 01 में बतलाये अनुसार पुराने खसरा संख्या 477 व 477/603 अलग–अलग खसरे थे, दोनों खसरों के खातेदार भी भिन्न–भिन्न थे, सम्वत 2056 से 2059 एवं सम्वत 2068 से 2071 की जमाबंदी की प्रतियां प्रस्तुत है।

यह है कि डीडवाना तहसील में सन 2009–10 में शुरू हुए री–सेटलमेंट (भू–प्रबंध) कार्यवाही में पुराने खसरा संख्या 477 व 477/603 को मर्ज करते हुए (पुराने खसरा संख्या 477/603 व 477 के बीच की सीमा रेखा को हटाते हुए) इन दोनों खसरों के स्थान पर नवीन खसरा नम्बर 313, 314, 315, 316 व 317 बनाकर खसरा संख्या 315, 316 व 317 में 3.6500 हेक्टेयर भूमि अप्रार्थी श्री हरलाराम के नाम खाता संख्या 147 में दर्ज की गई है एवं खसरा सख्या 313 व 314 में 4.2100 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख 1 व 2 के नाम खाता संख्या 146 में दर्ज की गई है। किसी भी भू–प्रबंध कार्यवाही के दौनान हुए परिवर्तनों का अंकन भू–प्रंबध कार्यवाही समाप्त होने के पूर्व दिनांक 17.12.2014 को जरिये नामान्तरण संख्या 422 खसरा संख्या 477/603 की 22 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज हो चुकी थी, इस भू–प्रबंध में पुराने खसरा संख्या 477/603 की 22 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज हो चुकी थी, इस भू–प्रबंध में पुराने खसरा संख्या 477/603 की 22 बीघा 11 बिस्वा भूमि के स्थान पर नवीन खसरा संख्या 315, 316 व 317 रकबा 3.6500 हेक्टेयर बनाये गये हैं जिसमें दो त्रुटियां हुई है पहली त्रुटि तो यह है कि यह भूमि 3.6500 हेक्टेयर प्रार्थी के नाम दर्ज करनी चाहिए थी लेकिन प्रार्थी के पिता अप्रार्थी श्री हरलाराम जी के नाम दर्ज कर दी जबकि हरलाराम जी ने तो यह भूमि जरिये पंजीबद्ध दानपत्र दिनांक 21.11.2014 को ही प्रार्थी को ही प्रार्थी को ट्रांसफर कर दी थी एवं नामान्तरण संख्या

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

422 द्वारा दिनांक 17.12.2014 को यह भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज भी हो चुकी थी। दूसरी त्रुटि इस भू–प्रबंध में यह हुई कि नक्शे में तरमीम गलत हो गई है पुराने नक्शे में प्रार्थी के एकल खातेदारी का पुराना खसरा संख्या 477/603 पुराने खसरा संख्या 477 के उत्तर में अंकित है, प्रार्थी की एकल खातेदारी के इस पुराने खसरा संख्या 477/603 में से लिया गया है एवं शेष भाग प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के संयुक्त खाते के पुराने खसरा संख्या 477 में से लिया गया है एवं नवीन खसरा संख्या 315 व 316 प्रार्थी की एकल खातेदारी के पुराने खसरा संख्या 477/603 में से न बनाकर संयुक्त खातेदारी के पुराने खसरा संख्या 477 में से बना दिये गये है।

इसी प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी के पुराने खसरा संख्या 477 की 26 बीघा भूमि (जो कि बाद बंटवारा नामान्तरण संख्या 499 दिनांक 10.06.2017 को नवीन खसरा संख्या 477, 679/477, 681/477 व 680/477 में दर्ज हो चुकी थी) से जो नवीन खसरा संख्या 313 व 314 रकबा 4.2100 हेक्टेयर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज किये गए है उनमें से नवीन खसरा संख्या 314 को पुराने खसरा संख्या 477 व खसरा संख्या 477/603 की भूमि को सम्मिलित कर बनाया गया है। इस प्रकार इस भू–प्रबंध कार्यवाही में भिन्न–भिन्न खातेदारों के अलग–अलग खसरों को सम्मिलित कर लिया गया है, नक्शे में त्रुटि हो गई है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है एवं प्रार्थी के खातेदारी की पुराने खसरा संख्या 477/603 की भूमि को इस भू–प्रबंध में नवीन खसरा संख्या 315, 316 व 317 में अप्रार्थी श्री हरलाल के नाम दर्ज कर दिया गया है, भू–प्रबंध वालों द्वारा तरमीम करने के दौरान (भू–प्रबंध के दौरान) रिकॉर्ड में त्रुटियां हो गई है, मौके की स्थिति भू–प्रबंध वालों द्वारा बनाये नवीन नक्शे के अनुसार नहीं है बल्कि मौके की स्थिति तहसीलदार डीडवाना द्वारा दिनांक 18.4.2017 को वाद संख्या 249/2014 में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार है। भू–प्रबंध वालों द्वारा हुई इन त्रुटियों को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है अतः आवेदन प्रस्तुत है।

अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का यह आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर :–

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 175/2018
दायर दिनाँक 22.10.2018 निर्णय दिनाँक 13.02.2020
खेताराम बनाम नारायणराम, वगैरा।

(1) ग्राम पीपलां का बास तहसील डीडवाना की सरहद में स्थित उपरोक्त वर्णित भूमि में से प्रार्थी की एकल खातेदारी की पुराने खसरा संख्या 477/603 की जो 22 बीघा 11 बिस्वा (3.6500 हेक्टेयर) भूमि नवीन खसरा संख्या 315, 316 व 317 में 3.6500 हेक्टेयर रकबा के रूप में अप्रार्थी श्री हरलाराम के नाम दर्ज की गई है उसे श्री हरलाराम के स्थान पर प्रार्थी के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावें।

(2) नवीन राजस्व नक्शे में पुराने खसरा संख्या 477 व 477/603 के बीच की सीमा रेखा हटाकर जो नवीन खसरा संख्या 314 व 317 बनाये गए है उसे दुरूस्त कर पुराने खसरा संख्या 477 व 477/603 के बीच की सीमा रेखा बनाकर नक्शे में शुद्धि की जावें।

(3) पुराने खसरा संख्या 477 व 477/603 के स्थान पर इस भू–प्रबंध कार्यवाही मे नक्शे में जो नवीन खसरा नम्बर 313, 314, 315, 316 व 317 अंकित किये गये है उन्हें दुरूस्त कर प्रार्थी की एकल खातेदारी के पुराने खसरा संख्या 477/603 के स्थान की 22 बीघा 11 बिस्वा भूमि केवल प्रार्थी के नाम दर्ज करने व प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी के पुराने खसरा संख्या 477 के स्थान की 26 बीघा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावें एवं श्रीमान न्यायालय द्वारा वाद संख्या 249/2014 में पारित डिक्री व उस डिक्री की पालना में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 499 दिनांक 10.6.2017 के अनुसार नक्शे में खसरों की सीमाएं तरमीम करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 01 व 02 की तरफ से इकबालियां जवाब पेश हुआ।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस के तर्को पर मनन किया रेकर्ड का अवलोकन किया। इसी उनवान व इसी खसरा नम्बर से संबधित एक वाद इसी न्यायालय में वाद सं0 249/2014 उनवान खेताराम बनाम नारायणराम में निर्णय दिनांक 26.05.2017 को अन्तिम निर्णय किया जा चुका है।

वाद सं0 249/2014 का निर्णय इसी न्यायालय से हो जाने से पक्षकारान उक्त निर्णय से आबद्ध है तथा पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर वादी को वाद पत्र लाने का कोई हक व अधिकार नहीं होने से यह वाद पत्र इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 175/2018
दायर दिनाँक 22.10.2018 निर्णय दिनाँक 13.02.2020
खेताराम बनाम नारायणराम, वगैरा।

रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व वाद सं0 249/2014 बअनुवान खेताराम बनाम नारायणराम में न्यायालय से निर्णय हो जाने से पक्षकारान उक्त निर्णय से आबद्ध है तथा पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर वादी को वाद पत्र लाने का कोई हक व अधिकार नहीं होने से वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है।

आदेश

अतः वाद पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर वादीगण को वाद पत्र लाने का कोई हक व अधिकार नहीं होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **13.02.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 175/2018 दायर दिनाँक 22.10.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. खेताराम पुत्र हरलाल उम्र 40 वर्ष, जाति मेघवाल निवासी–पीपलां बास (बांसा),तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नारायणराम पुत्र हरलाराम 2. हरलाराम पुत्र लिछमणराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण – पीपलां का बास (बासां), तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर। 3. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा–136 L.R..T.Act.

दिनाँक 13.02.2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री ओमप्रकाश पूनिया, वकील, वादी व श्री अशोक भाकर वकील प्रतिवादी सं0 01 व 02 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, वाद पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर वादीगण को वाद पत्र लाने का कोई हक व अधिकार नहीं होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....–..... .....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.02.2020 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.02.18 15:26:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: